नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

- 5 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सतना ज़िले की सीमाओं को परिवर्तित करने और नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने के लिये सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लिखित में सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।
- नवीन निर्मित होने वाले ज़िले मैहर का ज़िला मुख्यालय मैहर करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सतना ज़िले की तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हलका एवं तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हलका तथा तहसील रामनगर के 59 पटवारी हलके सहित कुल 234 पटवारी हलके रहेंगे।
- प्रस्ताव के अनुसार नवीन निर्मित होने वाले ज़िले मैहर के पूर्व में सीधी एवं रीवा, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में सतना और दक्षिण में कटनी, उमरिया एवं शहडोल ज़िले रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर की सभा को निवास कार्यालय समत्व से वर्चुअली संबोधित करते हुए माँ शारदा की नगरी मैहर को ज़िला बनाने की घोषणा की थी।

//